न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर (उत्तर)

पीठासीन अधिकारी :– **प्रीतम कुमार आई.ए.एस.**
राजस्व अपील संख्या : 80/2008
जीसीएमएस सं.:– 2008/00117

अपीलार्थीगण –

01. श्रीमती जोगीदेवी धर्मपत्नी श्री चन्द्रशेखर,
02. सुरजभान पुत्र श्री चन्द्रशेखर,
03. श्रीकान्त उर्फ सहदेव पुत्र श्री चन्द्रशेखर,
04. श्रीनिवास पुत्र श्री चन्द्रशेखर, सभी जाति विश्नोई, निवासी लाम्बा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

बनाम्

01. इन्द्रजीत पुत्र स्व. श्री किशनाराम,
02. जगदेव पुत्र स्व. श्री किशनाराम,
03. श्रीमती मंगली धर्मपत्नी स्व. श्री किशनाराम, सभी जाति विश्नोई निवासी लाम्बा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
04. श्रीमती सीता धर्मपत्नी श्री देवाराम, पुत्र स्व. श्री किशनाराम, जाति विश्नोई, निवासी ग्राम गुड़ा विश्नोईयान् तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
05. चन्द्रशेखर पुत्र श्री कानाराम,
06. पृथ्वीराज पुत्र श्री कानाराम, जाति विश्नोई निवासी लाम्बा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
07. श्रीमती मीरा धर्मपत्नी स्व. श्री सुरजनराम, जाति विश्नोई निवासी ग्राम गुड़ा भाकरी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
08. श्रीमती जड़ाव धर्मपत्नी श्री जोगाराम विश्नोई, जाति विश्नोई, निवासी हमीर नगर, फींच, लूणी जिला जोधपुर।
09. श्रीमती सुमित्रा धर्मपत्नी श्री रामरख विश्नोई, जाति विश्नोई, बी–1, वर्द्धमान कॉलोनी, गोल्फ कोर्स स्कीम एयरफोर्स, जोधपुर।
10. सुनील पुत्र श्री पृथ्वीराज,
11. टनिल पुत्र श्री पृथ्वीराज,
12. ताराचन्द पुत्र श्री पृथ्वीराज, जाति विश्नोई, निवासी लाम्बा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
13. जुगलकिशोर पुत्र मदनलाल झंवर, जाति माहेश्वरी , निवासी नेहरू पार्क, जोधपुर।
14. मीरा पुत्री रूघाथसिंह, जाति चौधरी, निवासी मेडती गेट, जोधपुर।
15. रमेश पुत्र नेनमल रमनानी, जाति सिन्धी, निवासी सरदारपुरा ए रोड़, जोधपुर।
16. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, जोधपुर।

अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामांतरकरण संख्या 253 ग्राम सिरियादे गांव, तहसील जोधपुर दिनांक 20.03.2007 जो ग्राम पंचायत नान्दड़ा कल्लां, पंचायत समिति मण्डोर द्वारा स्वीकार किया गया।

उपस्थित –

01. अपीलार्थीगण की तरफ से अधिवक्ता श्री लाधूराम पुनियां, जगदीशचन्द्र विश्नोई।
02. प्रत्यर्थी सं. 5 की तरफ से श्री अधिवक्ता दिनेश विश्नोई।
03. प्रत्यर्थी सं. 13 व 15 की तरफ से श्री सोमदत्त शर्मा।
04. प्रत्यर्थी सं. 6,7,9,10,11,12 की तरफ से श्री सुगनमल परिहार।

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

दिनांक :- 16/3/26

अपीलार्थीगण की अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार वर्णित किये है कि ग्राम सिरियादे तहसील जोधपुर की भूमि खसरा संख्या 94 रकबा 24 बीघा 16 बिस्वा व खसरा संख्या 94/1 रकबा 6 बिस्वा गैर मुमकिन बैरा, कुल रकबा 25 बीघा 2 बिस्वा भूमि के आधे हिस्से के खातेदार कानाराम पुत्र हमीरराम थे तथा आधे हिस्से के खातेदार प्रत्यर्थी सं0 6 पृथ्वीराज पुत्र कानाराम हैं, उक्त कानाराम ने अपना हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 22.02.1994 को अपीलार्थीगण तथा प्रत्यर्थी सं0 1 से 4 के पूर्वज किशनाराम तथा प्रत्यर्थी सं0 2 जगदेव, 3 श्रीमती मंगली, 5 चन्द्रशेखर, 6 पृथ्वीराज तथा प्रत्यर्थी सं0 10 से 12 सुनील, अनील, ताराचंद के पक्ष में बेचान कर दिया परन्तु उक्त विक्रय पत्र का नामान्तरकरण गलती से दर्ज नहीं हुआ, उसके बाद उक्त कानाराम का देहान्त दिनांक 14.06.2001 को हो गया तब मृतक कानाराम के उत्तराधिकारी प्रत्यर्थी सं0 1 से 9 के नाम नामान्तरकरण संख्या 253 ग्राम सिरियादे दर्ज कर दिया तथा पटवारी हल्का खरीदारान के नाम से नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया जिसकी जानकारी होने पर अपीलार्थीगण ने यह अपील उक्त नामान्तरकरण सं0 253 को निरस्त करके कानाराम के द्वारा निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 22.02.1994 के खरीदारान के नाम से नामान्तरकरण दर्ज किये जाने हेतु यह अपील मय धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रार्थनापत्र के प्रस्तुत की है।

यह अपील प्रस्तुत होने पर दिनांक 02.01.2008 को दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किए गए प्रत्यर्थी संख्या 6, 7, 9 से 12 की ओर से अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार, प्रत्यर्थी संख्या 1, 5, 8 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश विश्नोई तथा प्रत्यर्थी संख्या 13 व 15 की ओर से अधिवक्ता श्री सोमदत्त शर्मा उपस्थित हुए। शेष प्रत्यर्थीगण के सम्मन बाद तामील होकर पुनः प्राप्त हुए। सम्मन तामिल होने के बावजूद अनुपस्थित है। इसके बाद मूल नामान्तरकरण की प्रति पटवारी हल्का से मंगवाकर पत्रावली पर ली गई।

उपरोक्त अपील निर्धारित अवधि के बाद विलम्ब से प्रस्तुत हुई है तथा अपीलार्थीगण ने विलम्ब माफी के लिए धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को सुनवाई सूचना को कोई अवसर दिये बिना पारित किया है जिसकी जानकारी अपीलार्थीगण को नहीं हुई, इसकी सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 03.12.2007 को प्रत्यर्थी जुगलकिशोर भूमि को आगे बेचान करने के लिए ग्राहक गांव में आया तथा अपीलार्थीगण को बताया कि यह जमीन मैंने कानाराम के वारिस सुमित्रा व पृथ्वीराज से खरीद ली है तथा खरीद से मेरे नाम से नामान्तरकरण हो गया है जिसको मैं आगे बेचान करूंगा का कहने पर हुई, इसके बाद अपीलार्थीगण ने दिनांक 07.12.2007 को नकल प्राप्त की तब इसकी पूर्ण जानकारी होना बताते हुए अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ किया जावे।

अपीलार्थीगण के उपरोक्त म्याद माफी के प्रार्थना पत्र का प्रत्यर्थीगण ने बावजूद अवसर के कोई भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया।

अपीलार्थीगण के द्वारा धारा 5 भारतीय परीसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार व उसके साथ प्रस्तुत शपथ पत्र को ध्यान पूर्वक पढ़ा एवं पत्रावली का अवलोकन किया धारा 5 भारतीय परीसीमा अधिनियम जिसका कोई खण्डन प्रत्यर्थीगण द्वारा नहीं किया गया है तथा उभय पक्ष को सुना। उक्त धारा 5 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र के अखण्डित तथ्य होने से न्यायालय हाजा उपरोक्त अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा योग्य पाते हैं, इन परिस्थितियों में अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परीसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील को अन्दर म्याद प्रस्तुत की गई शुमार करने का आदेश दिया जाता है।

इसके बाद उभय पक्ष को अपील के गुणावगुण पर सुना गया।

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

Scanned with OKEN Scanner

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि के आधे हिस्से के खातेदार स्व. श्री कानाराम पुत्र हमीरराम ने अपने हिस्से की भूमि को, प्रतिफल प्राप्त कर दिनांक 22.02.1994 को अपीलार्थीगण व अन्य को विक्रय कर दी तथा विक्रय करने के बाद मृतक कानाराम के पास भूमि से संबंधित कोई हक–अधिकार नहीं बचे थे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसान को भी भूमि के कोई हक–अधिकार प्राप्त नहीं होना कहते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 253 व उसके परिणाम स्वरूप पश्चातवृति नामान्तरकरण को नियम विरूद्ध पारित किया जाना बताकर निरस्त किये जाने का निवेदन किया तथा अपीलार्थीगण/खरीदारान ने भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीद किया है जो नामान्तरकरण अपने नाम से करवाने के अधिकारी है, जिनके नाम से नामान्तरकरण दर्ज किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने बहस करते हुए अपीलार्थीगण की अपील को आधारहीन बताते हुए खारिज करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की उपरोक्त बहस पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली एवं उसके संलग्न बेचान दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद रूप से प्रकट हआ है कि भूमि के आधे हिस्से के खातेदार मृतक कानाराम पुत्र हमीरराम ने अपने जीवनकाल में अपनी आधे हिस्से की भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 22.02.1994 को अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी सं0 1 से 4 के पूर्वज किशनाराम तथा प्रत्यर्थी सं0 2, 3, 5, 6, 10 से 12 के पक्ष में विक्रय कर दिया, उक्त मृतक कानाराम के विक्रय पत्र के दस्तावेज का खण्डन बावजूद अवसर के नहीं किया है तथा प्रत्यर्थीगण की ओर से जब मृतक कानाराम ने अपने हिस्से की भूमि का विक्रय कर दिया तब उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसान ने अपने नाम से नामान्तरकरण दर्ज करवाने के किस प्रकार से हकदार है का कोई आधार पत्रावलली पर प्रत्यर्थीगण की ओर से नहीं बताया गया है।

उपरोक्त विश्लेषण एवं उभय पक्षों के तर्कों पर मनन करने के पश्चात् न्यायालय हाजा के मत से अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार योग्य है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 253 दिनांक 10.03.2007 एवं उसके परिणास्वरूप दर्ज किये गए नामान्तरकरण निरस्त योग्य पाया जाता है।

अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 253 दिनांक 10.03.2007 एवं उसके पश्चातवर्ती दर्ज किये गए समस्त नामान्तरकरण को भी निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार जोधपुर को मृतक खातेदार कानाराम के हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण उसके द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 22.02.1994 के आधार पर, उसमे वर्णित खरीदारान के नाम नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। इस निर्णय की प्रति तहसीलदार जोधपुर को प्रेषित की जावे।

(प्रीतम कुमार) आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर (उत्तर)

निर्णय आज दिनांक 16/3/26 को सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(प्रीतम कुमार) आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर (उत्तर)

Scanned with OKEN Scanner